न्यायालय सिविल जज(जू.डि.)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, गढ़मुक्तेश्वर, हापुड़।

पीठासीन अधिकारी– श्रीमती पारूल कुमारी, उ०प्र०न्यायिक सेवा(यू.पी.03546)

UPHP120037482024

Final Report/174/2024

प्रकीर्ण वाद सं०–112/2024

मु०अ०सं०–179/2024

कमल सिंह बनाम विश्पेन्द्र उर्फ राहुल

अन्तर्गत धारा–420, 406 भा.दं.सं.

थाना– गढ़मुक्तेश्वर, जनपद हापुड़।

दिनांक–02.07.2026 लंच बाद

पत्रावली लंच बाद पेश हुई। पुकारा गया। कोई उपस्थित नहीं। पत्रावली वर्ष 2024 से लम्बित है। वादी मुकदमा पर नोटिस की तामील है, किन्तु वादी मुकदमा के द्वारा अभी तक अंतिम आख्या पर कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गयी है। अतः आपत्ति का अवसर समाप्त किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि वादी मुकदमा द्वारा न्यायालय में प्रार्थनापत्र अंतगर्त धारा 156(3) दं.प्र.सं. प्रस्तुत किया गया, जिसे न्यायालय द्वारा स्वीकृत करते हुए थानाध्यक्ष को सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करने हेतु आदेशित किया गया, जिसके आधार पर थाना हाजा पर मु.अ.सं. 179/2024, अं०धारा 420, 406 भा.दं.सं. अभियुक्त विश्पेन्द्र उर्फ राहुल के विरूद्ध पंजीकृत कराया गया था, जिसमें विवेचक द्वारा न्यायालय के समक्ष अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया कि ''विवेचना के दौरान लिये गये गवाहान के बयानान, बैंक स्टेटमेन्ट, व अन्य साक्ष्यों से यह तथ्य प्रकाश में आये कि वादी व प्रतिवादी एक की परिवार के सदस्य हैं जिनके बीच पूर्व में मधुर सम्बन्ध रहे हैं और वादी के पुत्र की शादी के इंतजाम के लिए वादी द्वारा प्रतिवादी के खाते में रुपये ट्रास्फर स्वयं अपनी मर्जी से किये गये हैं। परन्तु पारिवारिक बंटवारे को लेकर दोनो पक्षों में विवाद होने के कारण दवाब बनाने हेतु गलत तथ्य प्रस्तुत कर उक्त मुकदमा पंजीकृत किया जाना पाया गया है। अतः मुकदमें की विवेचना साक्ष्य के अभाव मे जरिये अन्तिम रिपोर्ट सं0 56/2024 दिनांक 17.06.2024 को समाप्त की जाती है। माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अन्तिम रिपोर्ट स्वीकार करने की कृपा करें।'' वादी मुकदमा अनुपस्थित। पत्रावली पर उपलब्ध समस्त प्रपत्रों एवं केस डायरी के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवेचक द्वारा उक्त मुकदमे की विवेचक सम्यक रूप से की गयी तथा विवेचना में कोई त्रुटि होना प्रतीत नहीं होता है। अतः पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों के आधार पर अंतिम आख्या स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अन्तिम आख्या सं०–56/2024 (मु०अ०सं०–179/2024) स्वीकार की जाती है। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(पारूल कुमारी)

न्यायिक मजिस्ट्रेट, गढ़मुक्तेश्वर

हापुड़।

Digitally signed by PARUL KUMARI
Date: 2026.07.24 16:11:50 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court